UPLL010027552026

<u>न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), ललितपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारी- (चन्द्रगुप्त यादव),</u>

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP-3820

जमानत प्रार्थनापत्र सं.- 923/2026

नीरज पुत्र मोहन कुशवाहा, निवासी सिविल लाईन चांदमारी, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर, उ०प्र०.....

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

स्टेट ऑफ यूपी

.....अभियोजन

मुकदमा अपराध संख्या-20/2024
अन्तर्गत धारा-498A,323,304B,302,120-B,201 भा.दं.सं. व
धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

<u>दिनांक 21.07.2026</u>

(1) यह कि आवेदक/अभियुक्त **नीरज पुत्र मोहन कुशवाहा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 20/2024, अन्तर्गत धारा 498A,323,304B,302,120-B,201 भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 923/2026 जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

(2) आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त/आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र है। आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र इस माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। साथ ही, आवेदक द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। सर्वप्रथम यह अत्यन्त सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हैबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 218 वर्ष 2026 का निर्णय करते हुए निम्नलिखित स्पष्ट एवं निर्णायक अभिमत व्यक्त किया है-

88(iv) *"अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र पर संज्ञान लिए जाने के उपरान्त अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी को संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22(1) के उल्लंघन के आधार पर अधिनियम में उपलब्ध वैधानिक जमानत के उपाय का सहारा लेकर चुनौती दे सकता है।"*

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपर्युक्त अभिव्यक्ति एवं निष्कर्षों का वर्तमान प्रकरण के गुण-दोष तथा आवेदक की निरंतर निरुद्धता पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उक्त निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण एवं नवीन परिस्थिति है, जिस पर वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र का निर्णय करते समय इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्ष न केवल अभियोजन के मामले की जड़ को प्रभावित करते हैं, बल्कि आवेदक के जमानत पर मुक्त किए जाने के दावे को भी महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करते हैं। कि प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र इस माननीय न्यायालय के समक्ष उन नवीन एवं महत्वपूर्ण आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हैबियस कॉर्पस रिट याचिका के निरस्तीकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के उपरान्त उत्पन्न हुए हैं। आवेदक की निरंतर न्यायिक अभिरक्षा, जबकि उसके निरुद्ध रहने की वैधता एवं

औचित्य को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, एक नवीन कारण-ए-कार्यवाही (Fresh Cause of Action) उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर उसके जमानत के अधिकार पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र मुख्यतः निम्नलिखित महत्वपूर्ण एवं ठोस आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है—

(i) कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न तो लिखित रूप में दी गई और न ही किसी सार्थक एवं प्रभावी तरीके से अवगत कराया गया, जबकि ऐसा किया जाना विधि द्वारा अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 एवं 48 में निहित अनिवार्य सुरक्षा उपाय, जो संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22(1) में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वैधानिक स्वरूप हैं, का पालन आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से पूर्व नहीं किया गया।

प्रारम्भिक रिमाण्ड आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 47 एवं 48 बी.एन.एस.एस. के अनुपालन के संबंध में कोई संतोष अभिलिखित नहीं किया गया तथा न ही यह जांच की गई कि क्या आवेदक को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एवं उसके संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकारों की विधिवत जानकारी दी गई थी। रिमाण्ड आदेश इस महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आवश्यकता के संबंध में पूर्णतः मौन है। यह विधि द्वारा पूर्णतः स्थापित है कि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा है, जिसका उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता प्राप्त करने तथा अपनी गिरफ्तारी एवं निरुद्धता की वैधता को चुनौती देने का प्रभावी अवसर प्रदान करना है। गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देना गिरफ्तारी की वैधता को मूल रूप से प्रभावित करता है तथा उसके फलस्वरूप की गई निरुद्धता को विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण बना देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Vihaan Kumar बनाम State of Haryana** में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना अनिवार्य है तथा इसका उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, ऐसी गिरफ्तारी एवं उसके आधार पर किए गए रिमाण्ड के फलस्वरूप आवेदक की निरंतर न्यायिक अभिरक्षा पूर्णतः अवैध एवं अन्यायपूर्ण है और यह आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का महत्वपूर्ण आधार है। **(d)** अनुच्छेद 22(1) का अनुपालन न किया जाना अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है। अतः अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन में विफलता गिरफ्तारी को अवैध बना देती है। फलस्वरूप, ऐसे गिरफ्तारी के आधार पर पारित रिमाण्ड आदेश भी विधिक रूप से दोषपूर्ण हो जाते हैं। तथापि, इससे अन्वेषण, आरोप-पत्र अथवा विचारण प्रभावित नहीं होंगे, किन्तु आरोप-पत्र दाखिल कर देने मात्र से अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन को वैधता प्राप्त नहीं हो सकती।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Kasireddy Upendra Reddy** के प्रकरण में भी यह प्रतिपादित किया है-

18(e) यदि गिरफ्तारी के उपरान्त यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी स्वतः अवैध हो जाएगी। एक बार गिरफ्तारी अवैध घोषित हो जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता।

इसी प्रकार **Mihir Rajesh Shah बनाम State of Maharashtra** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी तत्काल लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, तो वह तत्काल मौखिक रूप से आधार बताएगा तथा लिखित आधार युक्तियुक्त समय के भीतर और किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने से कम से कम दो घंटे पूर्व उपलब्ध कराए जाएंगे।

यदि उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी तथा उसके पश्चात पारित रिमाण्ड आदेश दोनों अवैध होंगे और गिरफ्तार व्यक्ति तत्काल रिहा किए जाने का अधिकारी होगा। अतः अत्यन्त सम्मानपूर्वक निवेदन है कि आवेदक की वर्तमान निरुद्धता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 एवं 48 तथा संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी रखी गई है, जो पूर्णतः अवैध है।

(ii) आवेदक को प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। केवल औपचारिक रूप से यह अंकित कर दिया गया कि विधिक सहायता की पेशकश की गई थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया। यदि आवेदक ने निजी अधिवक्ता नियुक्त किया था, तो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व था कि वह उक्त अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते। ऐसा न करना **Mohammed Ajmal Mohammad Amir Kasab @ Abu Mujahid v. State of Maharashtra (2012) 8 SCR 295** में प्रतिपादित विधि का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

(iii) कि वर्तमान प्रकरण में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 द्वारा प्रदत्त आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि प्रतिपादित की है कि जहाँ ऐसा उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, वहाँ अभियुक्त विधि के अनुसार जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी होता है। इस संबंध में **Directorate of Enforcement v. Subhash Sharma** तथा **Dr. Rajinder Rajan v. Union of India**, निर्णय दिनांक 01.04.2026, पर विशेष रूप से निर्भर किया जा रहा है, जिनकी प्रतियाँ इस प्रार्थना-पत्र के साथ परिशिष्ट संख्या-02 के रूप में संलग्न हैं।

आवेदक की निरंतर न्यायिक अभिरक्षा प्रथम दृष्टया (Ex Facie) अवैध है, क्योंकि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 एवं 48 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 में निहित अनिवार्य सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में सम्पन्न रिमाण्ड कार्यवाही पर आधारित है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार भी प्रस्तुत हैं—

गिरफ्तारी एवं प्रारम्भिक निरुद्धता के समय की अवैधता

(i) कि कथित गिरफ्तारी के समय न तो गिरफ्तारी ज्ञापन (Arrest Memo) में गिरफ्तारी के विशिष्ट आधारों का उल्लेख किया गया और न ही उन्हें प्रभावी एवं सार्थक रूप से आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को बताया गया। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 एवं 48 तथा संविधान के अनुच्छेद 22(1) में निहित अनिवार्य प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया गया।

(ii) कि गिरफ्तारी अधिकारी की उक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया अवैध, मनमानी एवं असंवैधानिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं इस माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यह विधि द्वारा पूर्णतः स्थापित है कि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है, जिसके उल्लंघन से गिरफ्तारी स्वयं ही विधिक रूप से अस्थिर एवं असंवैधानिक हो जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Prabir Purkayastha v. State (NCT of Delhi)**, **Pankaj Bansal v. Union of India**, **Vihaan Kumar v. State of Haryana**, **Ashish Kakkar v. Union Territory, Chandigarh** तथा **Mihir Rajesh Shah v. State of Maharashtra** में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना नहीं दी जाती है, तो गिरफ्तारी संवैधानिक दृष्टि से दोषपूर्ण एवं विधिक रूप से अस्थिर हो जाती है।

इसी सिद्धांत को इस माननीय उच्च न्यायालय ने **Manjeet Singh @ Inder @ Manjeet Singh Chana v. State of U.P.**, **Sachin Soni @ Aansu @ Sachin Kumar Soni v. State of U.P.**, **Anwar Dhebar v. State of U.P.** तथा **Umang Rastogi & Another v. State of U.P.** में भी पुनः दोहराया है कि गिरफ्तारी संबंधी अनिवार्य सुरक्षा उपायों का उल्लंघन संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का घोर अतिक्रमण है तथा ऐसी निरुद्धता पूर्णतः अवैध है।

(iii) कि दिनांक **09.01.2024** को पारित रिमाण्ड आदेश से स्पष्ट है कि माननीय रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र न्यायिक विचार (Independent Application of Mind) नहीं किया, बल्कि केवल एक मुद्रित प्रपत्र (Printed Proforma) में औपचारिक प्रविष्टियाँ भरकर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उक्त आदेश अत्यन्त संक्षिप्त, गैर-विवेचित (Non-Speaking) तथा न्यायिक संतोष से पूर्णतः रहित है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला आदेश किसी मुद्रित प्रारूप पर यांत्रिक ढंग से पारित नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट का वैधानिक एवं संवैधानिक दायित्व था कि वह गिरफ्तारी की वैधता, विधिक प्रक्रिया के अनुपालन तथा आगे की निरुद्धता की आवश्यकता का परीक्षण करने के पश्चात ही रिमाण्ड प्रदान करता। ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

(iv) कि मुद्रित प्रपत्रों पर यांत्रिक रूप से रिमाण्ड आदेश पारित करने की प्रथा की इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ ने **Sangam Lal v. State of U.P. (Criminal Misc. Application under Section 482 Cr.P.C. No.3963 of 2022)** में स्पष्ट रूप से निन्दा की है तथा यह कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रत्येक आदेश में न्यायिक मस्तिष्क का स्वतंत्र एवं स्पष्ट प्रयोग परिलक्षित होना चाहिए।

(v) कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक को रिमाण्ड से पूर्व कोई प्रभावी अथवा सार्थक सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही अत्यन्त यांत्रिक ढंग से सम्पन्न की गई।

(vi) कि यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से पूर्व मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करे तथा यह संतुष्टि प्राप्त करे कि गिरफ्तारी एवं निरुद्धता विधिसम्मत एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। ऐसा अवसर न देना सम्पूर्ण रिमाण्ड कार्यवाही को अवैध बना देता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Mohammed Ajmal Mohammad Amir Kasab @ Abu Mujahid v. State of Maharashtra (2012) 8 SCR 295** में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि रिमाण्ड के चरण पर प्रभावी सुनवाई एवं प्रक्रियात्मक निष्पक्षता (Procedural Fairness) अनिवार्य है। इसका उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 का गंभीर अतिक्रमण है।

संज्ञान (Cognizance) आदेश पारित किए जाने के समय की अवैधता

(vii) कि आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय विधि द्वारा अपेक्षित अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction), जहाँ आवश्यक थी, प्राप्त नहीं की गई। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **Perumal v. Janaki** में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, जिसमें यह कहा गया है कि जहाँ अभियोजन स्वीकृति आवश्यक हो, उसके अभाव में अभियोजन विधिक रूप से टिकाऊ नहीं रहता।

यह भी माननीय मजिस्ट्रेट का दायित्व था कि दिनांक **06.03.2024** को आरोप-पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात संज्ञान लेने से पूर्व अभियोजन एवं अभियुक्त दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। किन्तु आदेश-पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक **04.05.2024** को बिना किसी सुनवाई के संज्ञान ले लिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निरुद्धता जारी रखना विधिसम्मत नहीं था, क्योंकि अन्वेषण समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद रिमाण्ड की प्रकृति परिवर्तित नहीं की गई, जिससे आवेदक की निरंतर अभिरक्षा अधिकार क्षेत्र के अभाव में अवैध हो गई।

धारा 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 232 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पारित आदेश की अवैधता

(viii) कि दिनांक **04.05.2024** के कमिटल आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त की अभिरक्षा धारा 167 से परिवर्तित होकर धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 346 बी.एन.एस.एस. के अधीन की जा रही है। आदेश-पत्र इस संबंध में पूर्णतः मौन है। कमिटल आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि अभियुक्त दिनांक **17.05.2024** को सत्र न्यायालय के समक्ष "व्यक्तिगत रूप से उपस्थित" हो। जबकि अभियुक्त उस समय न्यायिक अभिरक्षा में था। ऐसा निर्देश स्वयं यह दर्शाता है कि आदेश बिना किसी न्यायिक विचार के यांत्रिक ढंग से पारित किया गया।

धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 346 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पारित आदेश की अवैधता

(ix) कि सत्र न्यायालय की प्रथम आदेश-पत्रिका में केवल यह अंकित किया गया कि धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 346 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वारंट जारी किए जाएँ। जबकि कमिटल आदेश में अभियुक्त को विचारण की समाप्ति तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रत्येक तिथि पर पृथक एवं कारणयुक्त (Reasoned) रिमाण्ड आदेश पारित किया जाना आवश्यक था, जैसा कि विधि अपेक्षित करती है।

किन्तु किसी भी तिथि पर ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया। यहाँ तक कि हैबियस कॉर्पस याचिका दायर किए जाने के पश्चात भी इस त्रुटि का निवारण नहीं किया गया तथा आज तक कोई वैध रिमाण्ड आदेश पारित नहीं हुआ है। प्रारम्भिक रिमाण्ड आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 एवं 48 के अनुपालन के संबंध में कोई संतोष अंकित नहीं है तथा न ही न्यायिक मस्तिष्क के स्वतंत्र प्रयोग का कोई संकेत मिलता है। अतः सम्पूर्ण रिमाण्ड कार्यवाही विधि-विरुद्ध है। उत्पादन वारंट एवं रिमाण्ड की कार्यवाही के समय आवेदक को प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कि **Mohammed Ajmal Mohammad Amir Kasab @ Abu Mujahid v. State of Maharashtra** में प्रतिपादित विधि का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय ने हैबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 218/2026 का निर्णय करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोप-पत्र पर संज्ञान लिए जाने के उपरान्त अनुच्छेद 21 एवं 22 के उल्लंघन के आधार पर गिरफ्तारी को वैधानिक जमानत आवेदन के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र पूर्णतः पोषणीय (Maintainable) है। आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संवैधानिक एवं वैधानिक उल्लंघन आज भी विद्यमान हैं तथा केवल आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाने अथवा संज्ञान लिए जाने से वे समाप्त नहीं हो जाते, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र पूर्ववर्ती जमानत प्रार्थना-पत्र के निरस्त होने के पश्चात उत्पन्न नवीन एवं महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित है। अतः इसका स्वतंत्र रूप से गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना न्यायोचित है। गिरफ्तारी एवं रिमाण्ड की कार्यवाही में स्पष्ट विधिक त्रुटियों के बावजूद आवेदक की निरंतर न्यायिक अभिरक्षा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण हनन है। अतः उसे तत्काल जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। आवेदक यह वचन देता है कि वह विचारण की समस्त कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा, किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित प्रत्येक शर्त का निष्ठापूर्वक पालन करेगा। आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या एवं दुर्भावनापूर्वक फँसाया गया है। उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है तथा विधि के अनुसार दोष सिद्ध होने तक उसे निर्दोष माने जाने का संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्राप्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने अन्वेषण में पूर्ण सहयोग किया है तथा ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने कभी न्यायिक प्रक्रिया से बचने अथवा विधि से पलायन करने का प्रयास किया हो। सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण दस्तावेजी एवं शासकीय अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है, जो पहले से ही अभियोजन एजेंसी के कब्जे एवं नियंत्रण में हैं। अतः आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक यह भी प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी भी अभियोजन साक्षी को प्रभावित, प्रलोभित, भयभीत अथवा धमकाने का कोई प्रयास नहीं करेगा तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का पूर्णतः पालन करेगा। आवेदक अपने स्थायी पते का निवासी है तथा समाज में उसकी गहरी जड़ें (Deep Roots in Society) हैं। उसके न्यायालय से फरार होने अथवा न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोई संभावना नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तथा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। फलस्वरूप, अन्वेषण के उद्देश्य से आवेदक की निरंतर न्यायिक अभिरक्षा अब आवश्यक नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त, अपने विचारण (Trial) का प्रभावी प्रतिरक्षण करने हेतु उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श एवं सहायता प्राप्त करना भी आवश्यक है। अभियोजन साक्षियों की संख्या एवं विचारण की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में अनिश्चितकाल तक आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में बनाए रखना वस्तुतः विचारण-पूर्व दण्ड (Pre-trial Punishment) के समान होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है। आवेदक एक पर्याप्त अवधि से

न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा उसे गंभीर मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे निरंतर कारागार में रखे जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि **"जमानत नियम है और कारावास अपवाद" (Bail is the Rule and Jail is the Exception)।** संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु, विशेषकर तब जबकि विचारण के दौरान आवेदक की उपस्थिति उपयुक्त शर्तों के अधीन सुनिश्चित की जा सकती है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। आवेदक यह वचन देता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, जब तक न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए, उपस्थित रहेगा तथा विचारण के शीघ्र एवं निर्बाध संपादन में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक पुनः कथित अपराध करेगा अथवा किसी अन्य अपराध में संलिप्त होगा। आवेदक विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करने के लिए पूर्णतः तैयार एवं इच्छुक है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में अत्यन्त सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करे—

(i) कि आवेदक को वाद अपराध संख्या 20/2024, धारा 498-ए, 323, 304-बी, 302, 201, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर, में विचारण लंबित रहने के दौरान न्याय एवं विधि के हित में इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त एवं न्यायोचित शर्तों सहित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाए।

(ii) यह घोषित किया जाए कि आवेदक की निरंतर न्यायिक अभिरक्षा, विवादित रिमाण्ड आदेशों के आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल तथा संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 में निहित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 एवं 48 के अनिवार्य प्रावधानों तथा उत्पादन वारंट पर रिमाण्ड से संबंधित स्थापित विधिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

(iii) कि इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायहित में ऐसा कोई अन्य अथवा अतिरिक्त आदेश पारित किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित, न्यायसंगत एवं आवश्यक समझे।

(3) संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा चौबयाना थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर का निवासी है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री मनीषा की शादी जून सन् 2020 में चांदमारी सिविल लाईन निवासी नीरज पुत्र मोहन कुशवाहा के साथ हिन्दू सप्तपदी रीति से की थी और अपनी सामर्थ्य से अधिक लगभग 7 लाख रूपया खर्च किये थे। शादी के बाद से प्रार्थी की पुत्री मनीषा के ससुरालीजन पति नीरज तनय मोहन कुशवाहा, जेठ सोवरन पुत्र मोहन कुशवाहा, जेठानी श्रीमती सविता पत्नी सोवरन व सास श्रीमती शीला पत्नी मोहन कुशवाहा समस्त निवासीगण सिविल लाईन चांदमारी थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर कम दहेज का उलाहना देकर उसे प्रताड़ित करते रहे तथा अनुचित दहेज में 5 लाख रूपया व कार की मांग करते थे। लगभग 11 माह पूर्व मेरी पुत्री ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसके जन्मोत्सव में प्रार्थी द्वारा यथासंभव खर्च किया गया, किन्तु इसके पश्चात भी उक्त ससुरालीजन सन्तुष्ट नहीं हुये और अनुचित दहेज की मांग करते रहे, इसके संबंध में प्रार्थी की पुत्री द्वारा जब उसे बताया गया तो उसने सामाजिक पंचायत की और यह कहा कि अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपकी दहेज की नाजायज मांग को पूरा कर सकूँ। प्रार्थी की पुत्री मनीषा का पति नीरज उसी मुहल्ले की लड़की शिवानी से नाजायज संबंध बनाये हुये था इसकी शिकायत भी पुत्री द्वारा मुझसे की गयी थी कि दिनांक 06.01.2024 को प्रार्थी की पुत्री मनीषा द्वारा फोन पर यह बतलाया गया कि उसके सभी ससुरालीजन उसे प्रताड़ित व मारपीट कर रहे हैं तथा शिवानी के पिता व भाई मेरे ससुरालीजन से यह कह रहे हैं कि मनीषा को तलाक दे दो हम तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नीरज की दूसरी शादी अपनी लड़की शिवानी से कर देंगे। दिनांक 08.01.2024 को सुबह करीब 06 बजे शिवानी ने मेरे लड़के प्रदीप को फोन कर कहा कि अपनी बहिन व भान्जी की लाश उठा ले जाओ, जिस पर प्रार्थी मुहल्ला सिविल लाईन चांदमारी ललितपुर गया तो उसने देखा कि

उसकी पुत्री मनीषा व नातिन निपेक्षा उम्र करीब एक वर्ष की उक्त सभी लोगों ने हत्या कर दी है और मेरी लड़की व नातिन के शरीर पर गंभीर चोटें है। मेरी पुत्री मनीषा के ससुरालीजनों द्वारा उसकी दहेज के कारण दहेज हत्या की है और इस हत्या के षडयन्त्र में शिवानी पुत्री बालकिशन, बालकिशन पुत्र घनश्याम व शिवम पुत्र बालकिशन शामिल हैं।

(4) प्रकरण में थाने की आख्या आहूत की गयी। थाने द्वारा अपनी आख्या में प्रस्तरवार बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि अभियुक्त को जमानत देने पर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से उपस्थित नहीं होगा व न्यायालय के आदेशिकाओं का पालन नहीं करेगा उक्त आख्या के आधार पर जमानत का घोर विरोध करते हुये जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(5) प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०-923/2026 दिनांक 20.06.2026 को दर्ज रजिस्टर करते हुये वास्ते सुनवाई दिनांक 29.06.2026 नियत की गयी। दिनांक 29.06.2026 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुये प्रार्थनापत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 04.07.2026 नियत की गयी। दिनांक 04.07.2026, 08.07.2026, 10.07.2026, 12.07.2026 को सुनवाई हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुये पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17.07.2026 नियत की गयी। उक्त दिनांक को भी प्रार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आया, तदोपरांत वादहू लंच जेल में निरूद्ध अभियुक्त/प्रार्थी नीरज को जरिये वी.सी. यथास्थिति से अवगत कराया गया। अभियुक्त द्वारा एक दिन का अवसर चाहा, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया। दिनांक 18.07.2026 को पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी, कोई उपस्थित नहीं। जरिये वी.सी. अभियुक्त की सहमति से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता को सुनवाई हेतु नियुक्त किया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के अवलोकन हेतु समय की याचना की गयी। तदोपरांत लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक को प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

(6) प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त की ओर से उपस्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता ने मुख्तयः यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम रिमाण्ड के पूर्व अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी। उक्त आधार पर अभियुक्त का जिला कारागार में निरूद्ध रहना पूर्णतः अवैध है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त वर्तमान समय में धारा 309 द.प्र.सं. के वारण्ट पर जिला कारागार में निरूद्ध है, जो कि पूर्णतः अवैध है तथा उसे जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

(7) अभियोजन की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त की प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में गुण-दोष के आधार पर निरस्त की जा चुकी है तथा जो भी तर्क प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, वह मात्र रिमाण्ड से संबंधित हैं। अभियुक्त द्वारा जघन्य प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। उसके ऊपर अपनी पत्नी के साथ नवजात बच्चे को मारने का आक्षेप लगाया गया है। उक्त तर्क के आधार पर अभियुक्त की द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(8) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त/प्रार्थी के ऊपर मृतका को दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, साधारण उपहति, दहेज मृत्यु, क्रिकेट बैट से मारकर नवजात बच्चे की हत्या, साक्ष्य को मिटाने तथा दहेज मांगने व उपरोक्त अपराधों में अन्य सहअभियुक्त के साथ षड़यन्त्र कारित किये जाने का अभियोग लगाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त का कस्टडी रिमाण्ड वारण्ट अंतर्गत धारा 167 द.प्र.सं. व धारा 209 ए द.प्र.सं. निरस्त किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में अभियुक्त कस्टडी रिमाण्ड वारण्ट अंतर्गत धारा 309 द.प्र.सं. के तहत न्यायिक अभिरक्षा में है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Habeas Corpus Writ Petition No.-218 of 2026 में पारित आदेश दिनांकित 27.05.2026 के प्रस्तर 90 में यह उल्लेख किया है

कि "……We have found no illegality in the order of remand under section 309 Cr.P.C. as considered hereinabove……." अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के कस्टडी रिमाण्ड वारण्ट अंतर्गत धारा 309 द.प्र.सं. को वैध माना है तो इस स्तर पर अभियुक्त की कस्टडी को अवैध मानने का कोई औचित्य नहीं है। अग्रेतर अभियुक्त/प्रार्थी की प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र गुण-दोष के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

(9) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं। तदनुसार द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नीरज पुत्र मोहन कुशवाहा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 20/2024, अन्तर्गत धारा 498A,323,304B,302,120-B,201 भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 923/2026 निरस्त किया जाता है।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में सम्प्रेक्षण, यदि कोई हो तो वह मामले के गुण दोष को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसे सम्प्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु किये गये हैं।

इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

अहलमद/लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति जरिये ई-मेल जिला कारागार ललितपुर प्रेषित की जावे।

(चन्द्रगुप्त यादव)

दिनांक: 21.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
ललितपुर।
J.O. CODE–UP 3820